



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 93 राँची, सोमवार,

9 मार्च, 2026 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संकल्प

27 फरवरी, 2026

विषय: राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को मासिक पेंशन राशि प्रदान करने हेतु "झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन योजना" हेतु मार्गदर्शिका निर्धारण के संबंध में ।

संचिका संख्या: क्री०नि०-07/यो०-उपा०-15/2022 -29--खिलाड़ी अपनी युवावस्था का अधिकांश भाग गहन प्रशिक्षण के लिए खर्च करते हैं एवं सामान्य रूप से उपलब्ध अन्य लाभकारी अवसरों का त्याग कर देते हैं, ताकि वे अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर अपने राज्य एवं देश को गौरवान्वित कर सकें। सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद इन खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे में एक सुनिश्चित मासिक पेंशन राशि उनकी उच्च महत्वाकांक्षा और खेलों में उपलब्धि हासिल करने के लिए उनके द्वारा छोड़े गए अवसरों का मुआवजा होगा तथा खिलाड़ियों को अपने चुने हुए खेलों के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देने हेतु प्रेरित करेगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय संकल्प संख्या - 04 दिनांक 10.06.2022 द्वारा स्वीकृत झारखण्ड खेल नीति-2022 की कंडिका - 7.4.4 में राज्य के अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ध्यानचन्द अवार्ड प्राप्त

खिलाड़ी, ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खेल/एशियन गेम के पदक विजेता वैसे खिलाड़ी, जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं हैं, उन्हें पेंशन राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। इसे लागू करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या - 02 दिनांक 17.01.2023 द्वारा मार्गदर्शिका भी निर्गत है, परन्तु कई बार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए जाने पर भी उक्त पेंशन योजना के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, जबकि राज्य के अनेकों ऐसे अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक लाचारी से ग्रस्त हैं, परन्तु वे उक्त पेंशन योजना की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण आवेदन हेतु अपात्र हैं।

2. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विभिन्न जिलों के जिला खेल पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या- 02, दिनांक-17.01.2023 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका को निरस्त करते हुए झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिये जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत/शर्तों का पुनर्निर्धारण निम्नवत् किया गया है:-

(1) झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित अर्हताएँ निम्नवत् होंगी:-

(i) राज्य के मेजर ध्यानचन्द खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ध्यानचन्द अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलम्पिक गेम्स/पैरालम्पिक गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी, ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खेल/एशियन गेम/विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप (दो वर्ष या इससे अधिक के अंतराल पर आयोजित)/पैरा एशियन गेम्स/सैफ गेम्स/राष्ट्रीय खेल के पदक विजेता/ओलम्पिक गेम्स में शामिल खेल विधाओं में राष्ट्रीय खेल में भाग ले चुके वैसे खिलाड़ी, जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं हैं, वे झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन योजना के लाभार्थी होंगे।

(ii) कण्डिका - 1(i) में उल्लेखित अर्हताधारी उन्हीं खिलाड़ियों को पेंशन का लाभ प्राप्त होगा, जो

- A. झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हों।
- B. खिलाड़ी सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुका हो।
- C. वह कम-से-कम 40 (चालीस) वर्ष की आयु का हो, (आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है बशर्ते खिलाड़ी अचानक किसी चोट या शारीरिक विकलांगता या गंभीर बीमारी के द्वारा अक्षम हो गया हो एवं इसके परिणामस्वरूप सक्रिय खेलों से समय से पहले दूर हो गया हो, जिस मामले के लिए मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र अनिवार्य है)। आयु की गणना आवेदन की तिथि पर की जाएगी।
- D. वह किसी भी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि से मुक्त होना चाहिए। उपायुक्त अथवा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
- E. प्रतिवर्ष जनवरी माह में पेंशन प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को जीवित होने संबंधी घोषणा-पत्र संबंधित जिला खेल पदाधिकारी को समर्पित करना होगा।

- (iii) ऐसे पूर्व खिलाड़ी पेंशन के हकदार नहीं होंगे, जो वर्तमान में भारत सरकार/राज्य सरकार/पी०एस०यू० आदि में स्थायी, संविदा अथवा अस्थायी रूप से कार्यरत हों।
- (iv) ऐसे पूर्व खिलाड़ी पेंशन के योग्य नहीं होंगे, जो भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार की पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
- (v) इस योजना के तहत खिलाड़ी केवल एक पेंशन के लिए ही योग्य होंगे, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर दी जाएगी।
- (vi) राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/दिव्यांगजन पेंशन अथवा अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी इस मार्गदर्शिका में निहित अन्य शर्तों को पूर्ण करने पर इस योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र होंगे।

(2) पेंशन की राशि:-

- (i) अर्हताधारी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर निम्नवत् मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी:-

क्र०सं०	खिलाड़ी की उपलब्धि	मासिक पेंशन राशि
1.	राज्य के मेजर ध्यानचन्द खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ध्यानचन्द अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी तथा ओलम्पिक/पैरालम्पिक गेम्स में पदक विजेता।	₹20,000/-
2.	वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप (2 वर्ष या इससे अधिक के अंतराल पर आयोजित) में स्वर्ण पदक विजेता।	₹16,000/-
3.	वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप (2 वर्ष या इससे अधिक के अंतराल पर आयोजित) में रजत/कांस्य पदक विजेता।	₹14,000/-
4.	एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता।	₹14,000/-
5.	एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत/कांस्य पदक विजेता।	₹12,000/-
6.	वर्ल्ड युनिवर्सिटी गेम्स में पदक विजेता।	₹12,000/-
7.	सैफ गेम्स/नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता।	₹10,000/-
8.	ओलम्पिक में प्रतिभागी खिलाड़ी।	₹10,000/-
9.	सैफ गेम्स/नेशनल गेम्स में रजत/कांस्य पदक विजेता।	₹8,000/-
10.	ओलम्पिक गेम्स की सूची में शामिल खेल विधाओं में नेशनल गेम्स में भाग ले चुके खिलाड़ी।	₹5,000/-

- (ii) पेंशनधारी खिलाड़ी की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित (यथा पति/पत्नी और नाबालिग बच्चा/बच्चों) को खिलाड़ी को मिल रही पेंशन राशि की 50% (पचास प्रतिशत) राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी।
- (i) इस योजना के क्रियान्वयन से राजकोष पर प्रारंभिक वर्ष में लगभग रु. 30-40 लाख वार्षिक वित्तीय भार पड़ने के संभावना है। खिलाड़ी पेंशन योजना की अर्हता रखने वाले पूर्व खिलाड़ियों की संख्या भविष्य में घट अथवा बढ़ सकती है। तदनु रूप भविष्य में राजकोष पर पड़ने वाले वित्तीय भार में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है।
- (3) आवेदन की प्रक्रिया:-
- A. पात्र खिलाड़ी "खिलाड़ी पेंशन योजना" के अन्तर्गत पेंशन हेतु परिशिष्ट - I एवं II (जैसा लागू हो) में निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला खेल पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करेंगे।
- B. जिला खेल पदाधिकारी आवेदनों की सत्यता एवं आवेदक की पात्रता की जांच कर अपनी अनुशंसा के साथ खेल पेंशन की स्वीकृति पर विचार करने के लिए प्राप्त आवेदनों को निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय को अग्रसारित करेंगे। जिला खेल पदाधिकारी रिकॉर्ड के लिए प्राप्त आवेदनों की एक प्रति अपने पास भी संधारित करेंगे।
- (4) पेंशनभोगी खिलाड़ी के मृत्यु उपरांत उनके आश्रितों (यथा पत्नी और नाबालिग बच्चा/बच्चों) को पेंशन:-
- पेंशनभोगी खिलाड़ी की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित (यथा जीवित पति अथवा पत्नी एवं नाबालिग बच्चा/बच्चों) को उनसे संबंधित पेंशनभोगी खिलाड़ी का मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि कागजातों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर पेंशन की स्वीकृति दी जा सकेगी। आवेदन करने की प्रक्रिया वही होगी, जो कण्डिका - 3 में दी गई है।
- (5) आवेदन की जांच एवं अनुशंसा:-
- पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों पर झारखण्ड खेल नीति - 2022 के कंडिका - 7.4.2 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (6) पेंशन की स्वीकृति:-
- (i) अनुशंसा समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशन की स्वीकृति सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।
- (ii) सभी भुगतान पेंशन स्वीकृत होने की तिथि से देय होंगे तथा उस तिथि से पूर्व की अवधि के लिए कोई बकाया देय नहीं होगा।
- (7) जीवन प्रमाण पत्र:-
- प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में, पेंशनभोगी खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से संबंधित जिले के जिला खेल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और परिशिष्ट - III में दिये गए प्रपत्र में जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) प्रस्तुत करेंगे। जिला खेल पदाधिकारी पेंशन के नवीनीकरण के लिए इसे प्रत्येक वर्ष खेलकूद एवं युवाकार्य

निदेशालय को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रसारित करेंगे। जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) ससमय प्राप्त नहीं होने पर पेंशन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

(8) भुगतान की प्रक्रिया:-

पेंशन की राशि की कोषागार से निकासी कर संबंधित पेंशनभोगी को सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

(9) पेंशन की समाप्ति:-

- A. पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पेंशन बंद कर दी जाएगी। (हालांकि, यदि मृतक पेंशनभोगी का पति/पत्नी अथवा नाबालिग बच्चे जीवित हैं, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता/सकती है)। कोई भी आश्रित नहीं होने पर पेंशन स्वतः बंद हो जाएगी। आश्रित को पेंशन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष संबंधित जिला खेल पदाधिकारी के माध्यम से शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- B. पेंशनभोगी स्वेच्छा से किसी भी समय पेंशन का परित्याग कर सकते हैं।
- C. विभाग द्वारा पेंशन को समाप्त किया जा सकता है, यदि जाँच करने पर यह स्थापित हो जाता है कि पेंशनभोगी अनुचित या कपटपूर्ण साधनों का सहारा लेकर पेंशन प्राप्त कर रहा है। ऐसे मामले में, विभाग को 18% वार्षिक ब्याज सहित पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा पहले से प्राप्त किए गए कुल राशि की वसूली के लिए उचित कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार भी सुरक्षित होगा।

- (10) पेंशन राशि पर होने वाले व्यय राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष - 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ -लघु शीर्ष- 104/796- खेलकूद/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष - 27 - खिलाड़ी कल्याण कोष/छात्रवृत्ति/सम्मान/पूर्व खिलाड़ी पेंशन योजना/बीमा -विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान-प्राथमिक इकाई-50- छात्रवृत्ति/वजीफा मद से विकलनीय होगा।
- (11) एतद् संबंधी संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं०-02, दिनांक-17.01.2023 द्वारा निर्गत झारखण्ड खिलाड़ी पेंशन योजना हेतु मार्गदर्शिका को निरस्त किया जाता है।
- (12) इस पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
- (13) उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 05.02.2026 को आहूत बैठक के मद सं० 01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट - I

आवेदन प्रपत्र

खिलाडी पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम -

2. पिता/पति का नाम -

3. वर्तमान पता -

गाँव -

पोस्ट -

थाना -

प्रखण्ड -

जिला -

पिन कोड -

फोन/मोबाईल नं० -

4. स्थायी पता -

गाँव -

पोस्ट -

थाना -

प्रखण्ड -

जिला -

पिन कोड -

5. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

6. (A) जन्म तिथि -

(साक्षर आवेदक के मामले में विद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति और अनपढ़ आवेदक के मामले में आधार/वोटर कार्ड आदि)

(B) आवेदन की तिथि के अनुसार आयु

वर्ष	माह	दिन
------	-----	-----

7. खेल के क्षेत्र में उपलब्धि -

(प्रमाणपत्रों/प्रशंसापत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

8. उसके खेल करियर के दौरान शारीरिक अक्षमता (यदि लागू हो तो) के कारण एवं विवरण।

(राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

9. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय एवं वार्षिक आय का विवरण (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल वार्षिक आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. आश्रित परिवार के सदस्यों की सूची और आवेदक के साथ उनके संबंध (उम्र, व्यवसाय विवरण आदि के साथ) (आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर के साथ एक अलग शीट में)
11. खेल के क्षेत्र में सरकारी/गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्रों का विवरण (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।
12. क्या आवेदक ने ऐसी किसी समान योजना में केंद्र सरकार/राज्य सरकार से कोई सहायता/पेंशन प्राप्त की है? (तत्संबंधी दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) - हाँ/नहीं
13. क्या आवेदक को दीवानी या फौजदारी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। (यदि हाँ, तो पूर्ण विवरणी दें)
14. क्या आवेदक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग के लिए दोषी पाया गया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें और यदि नहीं, तो इससे संबंधित एक undertaking आवेदन के साथ संलग्न करें।
15. बैंक खाता का विवरण, जहाँ स्वीकृति के मामले में पेंशन राशि जमा की जाएगी। (बैंक पास बुक की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)
16. आवेदन से संबंधित कोई अन्य जानकारी/विवरण।

घोषणा:- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं। यदि कोई सूचना गलत एवं असत्य पाई जाती है तो मैं विधि के अनुसार दण्ड का भागी होऊँगा। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं वर्तमान में सक्रिय खेल कैरियर से सेवानिवृत्त हो चुका/चुकी हूँ।

तिथि:

स्थान:

आवेदक का हस्ताक्षर

जिला खेल पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ग्राम -
 पोस्ट - थाना -
 प्रखण्ड - जिला -, जिसने आवेदन प्रस्तुत किया है,
 के आवेदन में दी गई सभी जानकारी/डाटा उचित सत्यापन के बाद सही पाए गए हैं।
 सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत करने पर विचार करने हेतु आवेदन को अनुशंसा सहित
 निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को अग्रसारित किया
 जाता है।

तिथि:

स्थान:

जिला खेल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम -

मुहर -

परिशिष्ट-II

आवेदन पत्र

मृतक खेल पेंशनर के जीवनसाथी हेतु पेंशन।

1. जीवित पत्नी/पति का नाम:
2. मृतक खेल पेंशनभोगी से संबंध:
3. मृतक खेल पेंशनभोगी का नाम:
4. आवेदक का वर्तमान पता:

गाँव -

पोस्ट - थाना - प्रखण्ड -

जिला -

पिन कोड -

फोन/मोबाईल नं० -

5. मृत पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि (मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) :-
6. सभी स्रोतों से वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें) :-

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट - आवेदक को आवेदन के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र/कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण संलग्न करना होगा।

परिशिष्ट -III

जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

.....

पिता/पति..... ग्राम/मोहल्ला

पोस्ट थाना प्रखण्ड जिला

....., जिनके द्वारा विभाग से खिलाड़ी पेंशन योजना के

अन्तर्गत पेंशन प्राप्त किया जा रहा है, अभी जीवित हैं।

पेंशनभोगी खिलाड़ी का हस्ताक्षर

जिला खेल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

एवं मुहर
